

आदेश

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत पर मजमें आम पेश
हुई। तहसीलदार अरथूना की रिपोर्ट पर खातेदार का नाम **हीरा पूत्र हिम्मतकांत** के स्थान पर

हिम्मतकांत पूत्र हीरा करने के आदेश दिये जाते हैं।

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमती शिविर प्रशासक महोदय
प्रशासकीय लोक अदालत भ्रष्टाचार 2021
पंचायत समिति अरथूना

आदेश

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली में
शुद्धि का आदेश जारी किया जा कर पत्रावली के अन्तर्गत
कर दायित्व वपत्र हीरा

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बंसवाड़ा

